उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा (राज.)
न्यायालय बइजलास श्री लहरी कुमार जैन R.A.S.

मुकदमा नं. 10/17 दावा   निर्णय दिनांक 23.03.2017

1. सत्यनारायण पुत्र मोडूलाल जाति किराड निवासी कुराड तहसील कनवास जिला कोटा।

—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

—प्रतिवादी

दावा इन्द्राज दुरूस्ती अर्न्तगत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट.

उपस्थित — श्री विनोद गौत्तम एडवाकेट — वादी की ओर से
तहसीलदार कनवास — प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से

निर्णय

वादी द्वारा एक वाद वास्ते इन्द्राज दुरस्ती का प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी के एकल खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम कुराड पटवार हल्का कुराड तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान की खाता संख्या नई 407 की खसरा नंबर 148 की 0.84 है0, खसरा नंबर 155 की 0.01 है0, खसरा नंबर 156 की 4.18 है0, खसरा नंबर 859 की 0.35 है0, खसरा नंबर 1064 की 0.25 है0, कुल किता 05 की 5.63 है0, आराजी स्थित है जिसकी पुष्टि जमाबन्दी संख्या 2066 से 2069 से होती है। यह कि वाद पत्र पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी में रिज्यूम शब्द जुडा हुआ है। उक्त आराजी माफी की आराजी थी जो जागीर उन्मूलन के समय माफी को हटा दिया गया था तथा वादी के पूर्वजों को पूर्व खातेदार घोषित कर दिया था किन्तु रिज्यूम शब्द आज भी खाते पर विधमान है जिससे वादी को विकास कार्य व घरेलू जरूरतों की पूर्ति हेतु आराजी का लाभ नंही उठा पा रहा है।

वादी द्वारा पुनः वाद पत्र में अकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया की माल ग्राम कुराड तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान की खाता संख्या नई 407 की खसरा नंबर 148 की 0.84 है0, खसरा नंबर 155 की 0.01 है0, खसरा नंबर 156 की 4.18 है0, खसरा नंबर 859 की 0.35 है0, खसरा नंबर 1064 की 0.25 है0, आराजी पर से रिज्यूम शब्द हटाया जावे तथा उक्त अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने के आदेश फरमावें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी की तलवी की गई।प्रतिवादी क्रम 01 ने उपस्थित होकर दिनांक 15.03.2017 को जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सम्पूर्ण राजस्थान में जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम के प्रभावशील होने के बाद खाते से माफी शब्द हटाकर सेवादारों को खुद

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

काश्तकार मानकर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये हैं। रिज्यूम शब्द खाते से हटाने में आपत्ति नंही है।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान वकील वादी ने हमारे ध्यान प्रस्तुत उद्धरण आर आर डी 1985 पेज संख्या 298–303 सरकार बनाम हरकलाल एवंआरबीजे (13) 2006 पेज संख्या 190–192 माननीय राजस्थान उच्चन्यायालय जयपुर सरवनजीत बनाम सरकार व अन्य की ओर हमारा ध्यान आकर्षित कर या जिसमें माफी के 01.07.1963 के पुर्नग्रहण होने पर राजसरकार भूमिधारक के स्थान पर और विपक्षी गणको धारा 13 आरटी एक्ट तथा धारा 9 एवं 10 जागीर एक्ट के अनुसार सही दर्ज किया गया। एवं धारा 193 आरटी एक्ट 1955 पेश की राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक / एफ.2(682)Rev./B/62 date 05/06/65 and date 11/03/66 व अधिसूचना दिनाक 10.05.66 से तथा आरटी एक्ट की धारा 193 अनुसार ग्राम के सेवादारों यथा माफीचौकीदारी माफी ग्राम बलाई आदि उसकी अनुदानभूमिका खातेदार आसामी हो गया है।

पत्रावली में तनकी कायम की गयी जो निम्न प्रकार है :–

1. आया वादी ग्राम कुराड पटवार मण्डल कुराड की आराजी खसरा नंबर 148 / 0.84 है0, खसरा नंबर 153 / 0.01 खसरा नंबर 156 / 4.18 है0, खसरा नंबर 859 / 0.35 है0, खसरा नंबर 1064 / 0.25 है0, किता 05 / 5.63 है0. पर से रिज्यूम हटवाये जाने व खातेदार घोषित करवाये जाने का अधिकारी है।

:– वादी

हमार द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड एवं पेरोकार सरकार के जवाब तथा प्रस्तुत उद्धरण का अवलोकन करने के उपरान्त हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं माल ग्राम कुराड तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान की खाता संख्या नई 407 की खसरा नंबर 148 की 0.84 है0, खसरा नंबर 155 की 0.01 है0, खसरा नंबर 156 की 4.18 है0, खसरा नंबर 859 की 0.35 है0, खसरा नंबर 1064 की 0.25 है0, आराजी पर से रिज्यूम शब्द हटाया जाना व वादी के नाम से उपकृषक शब्द हटाकर खातेदार दर्ज किये जाने की डीक्री सादिर पारित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः वाद वादी स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि माल ग्राम कुराड तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान की खाता संख्या नई 407 की खसरा नंबर 148 की 0.84 है0, खसरा नंबर 155 की 0.01 है0, खसरा नंबर 156 की 4.18 है0, खसरा नंबर 859 की 0.35 है0, खसरा नंबर 1064 की 0.25 है0, आराजी पर से रिज्यूम शब्द हटाया जावे व वादी के नाम से उपकृषक शब्द हटाकर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनाक 23.03.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुंदरी कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

बइजलास श्री लहरी कुमार जैन R.A.S.

1. सत्यनारायण पुत्र मोडूलाल जाति किराड निवासी कुराड तहसील कनवास जिला कोटा।

—वादी

बनाम

2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा।

—प्रतिवादी

दावा इन्द्राज दुरूस्ती अर्न्तगत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट.

मुकदमा नं. 10/17 सन 2017 निर्णय दिंनाक 23.03.2017 यह मुकदमा आब वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादीगण की ओर से एडवाकेट श्री विनोद गौत्तम मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि माल ग्राम कुराड तहसील कनवास जिला कोटा राजस्थान की खाता संख्या नई 407 की खसरा नंबर 148 की 0.84 है0, खसरा नंबर 155 की 0.01 है0, खसरा नंबर 156 की 4.18 है0, खसरा नंबर 859 की 0.35 है0, खसरा नंबर 1064 की 0.25 है0, कुल किता 05 की रकबा 5.63 है0 आराजी पर से रिज्यूम शब्द हटाया जावे व वादी के नाम से उपकृषक शब्द हटाकर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तदानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23/03/ 2017 को जारी की गई।

मोहर ....

उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज0)

श्री लहरी कुमार जैन
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कनवास

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	---------NIL-------		स्टाम्प वकालतनामा	---------NIL-------	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक			मीजान		
मीजान					

नोट :— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

श्री लहरी कुमार जैन
(R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कनवास
जिला कोटा